राजस्थान सरकार
खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग

पत्र क्रमांकः 02 (3881)/खा.वि./स्था.प्र./2025/03935 जयपुर, हस्ताक्षारित दिनांक

आदेश

श्री राहुल राज जादौन, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, धौलपुर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2024 के द्वारा निलंबित किया गया, जिसकी पुष्टि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2024 द्वारा की गई।

श्री जादौन द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3881/2025 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2025 की अनुपालना में निलंबन आदेश दिनांक 27.12.2024 एवं कार्मिक विभाग पुष्टि आदेश दिनांक 30.12.2024 की क्रियान्विति को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 16.09.2025 द्वारा आगामी आदेशों के लिए स्थगित किया गया।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (240) कार्मिक/क–3/जांच/2024 दिनांक 24.06.2026 की पालना में श्री राहुल राज जादौन, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, धौलपुर को निलंबन से बहाल किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपिरू– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरक्ति खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. श्री राहुल राज जादौन, जिला रसद अधिकारी, सतर्कता, जोधपुर, (स्थानान्तरणाधीन) राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.07 2[illegible]:05:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23901687
M e-Sign